

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 603/2013/जयपुर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन-तृतीय, राज. जयपुर.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स दी सन एन्टरप्राइजेज,
84, भौमिया नगर, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर.प्रत्यर्थी.

2. प्रत्याक्षेप संख्या – 1003/2013/जयपुर.

मैसर्स दी सन एन्टरप्राइजेज,
84, भौमिया नगर, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर.प्रार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन-तृतीय, राज. जयपुर.अप्रार्थी.

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषकअपीलार्थी राजस्व की ओर से.

श्री ओ. पी. माहेश्वरी,
अधिकृत प्रतिनिधिप्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से.

दिनांक : 27/03/2017

निर्णय

1. यह अपील व क्रॉस ऑब्जेक्शन उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 235/आरवेट/जी/11-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 26.12.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 26, 25, 61, 55 के तहत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.11.2011 के विरुद्ध अपील को आंशिक स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान दिनांक 01.10.2008 से 31.03.2009 के बीच विक्रय की गई इलेक्ट्रिक मोटर को 4 प्रतिशत से कर योग्य दर्शाया गया था जबकि कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार उक्त माल 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य था क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर कैपिटल गुड्स की श्रेणी में सम्मिलित योग्य नहीं थी अतः अन्तर कर, ब्याज तथा शास्ति का आरोपण किया गया था, जिसके विरुद्ध

लगातार.....2

27/03/17

अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आरोपित अन्तर कर व ब्याज को यथावत रखा गया परन्तु वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर अपास्त किया गया क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी के समस्त संव्यवहार लेखा-पुस्तकों एवं विवरण-पत्रों में भी समुचित रूप से घोषित किये हुए थे।

3. अपीलीय अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करने के विरुद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि गलत कर दर से कर संग्रहित कर राजकोष में जमा कराना करापवंचन की मंशा को दर्शाता है अतः इस आधार पर आरोपित शास्ति विधिसम्मत थी जिसे अपीलीय अधिकारी ने अविधिक रूप से अपास्त किया है, जिसे पुनर्स्थापित किये जाने का अनुरोध किया है।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने क्रॉस ऑब्जेक्शन्स के आधारों में ब्याज एवं कर को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखने को अविधिक बताया है एवं यह भी उल्लेख किया है कि व्यवहारी का समस्त माल कैपिटल गुड्स के रूप में निर्माता व्यवहारियों को विक्रय किया गया था एवं उनके द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करने के पश्चात् 4 प्रतिशत की दर से माल का विक्रय किया गया है। यह भी कथन किया कि व्यवहारी द्वारा समस्त क्रय विक्रय बहियात में दर्ज थी एवं किसी भी तरह के संव्यवहारों को विभाग से छिपाया नहीं गया था। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः विभाग की अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में विक्रय किये गये इलेक्ट्रिक मोटर को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कैपिटल गुड्स नहीं मानते हुए अन्तर कर एवं ब्याज आरोपित किया गया है जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत

लगातार.....3





Am. M. M.
27/03/17

रखा गया है जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है, परन्तु राजस्व द्वारा अपीलीय आदेश में शास्ति को अपास्त किये जाने के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक मोटर की पहचान केपिटल गुड्स में नहीं मानकर एक स्वतंत्र वस्तु मानने को लेकर विवाद था एवं इस विवादित बिन्दु पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त (2016) 46 टैक्स अपडेट पृष्ठ 198 मैसर्स गुलाब हैण्डिक्राफ्ट बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी जोधपुर के मामले में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि दिनांक 09.07.2008 के पूर्व इलेक्ट्रिक मोटर केपिटल गुड्स में सम्मिलित योग्य है एवं दिनांक 09.07.2008 के कर दर अनुसूची में संशोधन के पश्चात् प्रमाण-पत्रों के समर्थन पर इसकी कर दर 4 प्रतिशत की गयी है। इस प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 09.07.2008 के बाद की बिक्री को पूर्ण कर दर से कर योग्य माना है जो विधि अनुसार है एवं उसके विरुद्ध व्यवहारी ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय संव्यवहारों को उचित रूप से लेखा-पुस्तकों एवं विवरण-पत्रों में दर्शाया हुआ होने से माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है एवं अपीलार्थी राजस्व की अपील खारिज की जाती है।

7. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है, साथ ही प्रत्यर्थी व्यवहारी के क्रॉस ऑब्जेक्शन्स भी अस्वीकार किये जाते हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।


(क. एल. जैन)
सदस्य


(राजीव चौधरी)
सदस्य